

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,  
परिषद से सम्बद्ध समस्त,  
राजकीय/अनुदानित/पी.पी.पी./निजी क्षेत्र,  
की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2026/2721

लखनऊ: दिनांक: 30/06/2026

विषय: शैक्षिक सत्र 2026-27 में विषम सेमेस्टर हेतु पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप के संबंध में।

महोदय,

कृपया, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 18/2026/आई/1208800/2026/16-3099/12/2019, दिनांक: 19 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 में विषम सेमेस्टर हेतु पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप के संबंध में दिनांक: 01 जुलाई, 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

उक्त के दृष्टिगत आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विषम सेमेस्टर हेतु निर्धारित तिथि दिनांक: 01 जुलाई, 2026 से पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप की प्रक्रिया प्रारंभ कराते हुए सुचारु रूप से पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)

सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2026/2722-27

तददिनांक: 30/06/2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र।

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)

सचिव



ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

संख्या: 18/2026/आई/1208800/2026 /16-3099/12/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ: दिनांक: 19-01-2025**

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 26-27 और आने वाले वर्षों के लिए हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षिक सत्र का नियमित और सुव्यवस्थित संचालन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, अपितु संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को अनुशासित और संगठित रखने में भी सहायक होता है। शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे विषयों को चरणबद्ध तरीके से समझ सकें और उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास सुचारू रूप से हो सके।

2. शैक्षिक सत्र के नियमित रहने से विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के लिए समय प्रबंधन आसान हो जाता है तथा परीक्षाओं और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रगति के सही मूल्यांकन का अवसर मिलता है और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। शैक्षिक सत्र नियमित होने से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समय पर पूरा कर पाते हैं, जिससे उनके समक्ष उच्च शिक्षा और कैरियर के विभिन्न अवसरों के द्वार खुलते हैं। नियमित और सुव्यवस्थित शैक्षिक सत्र एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी सिद्ध होता है और समाज में ज्ञान आधारित प्रगति को सुनिश्चित करता है।

3. ध्यातव्य है कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों के कारण शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन प्रभावित हुआ, जिसे नियमित करने के प्रयास विगत वर्षों से किये जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र के नियमित न होने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक निश्चित कार्यावधि एवं समय सारिणी का निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

4. उक्त के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वार्षिक पद्धति एवं सेमेस्टर पद्धति (विषम एवं सम-सेमेस्टर) हेतु शैक्षिक सत्र 2026-27 और आने वाले वर्षों के लिए शैक्षिक कैलेंडर का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय - सारिणी/शैक्षिक कैलेंडर**

| क्र० सं० | कार्य विवरण                                                                                 | निर्धारित समयावधि (विषम सेमेस्टर)                   | निर्धारित समयावधि (सम सेमेस्टर)                 | निर्धारित समयावधि (वार्षिक परीक्षा)             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप                                                                | 01 जुलाई से 30 अक्टूबर तक                           | 15 दिसम्बर से 15 अप्रैल तक                      | 01 जुलाई से 20 मार्च तक                         |
| 2.       | नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं का पाठन-पाठन                                                     | 01 जुलाई से प्रारंभ                                 | -----                                           | 1 अगस्त से प्रारंभ                              |
| 3.       | नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र                                          | 01 अगस्त से 17 अगस्त तक                             | -----                                           | 20 अगस्त से 05 सितम्बर तक                       |
| 4.       | परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की तिथि (प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर) | 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक                         | 15 फरवरी से 28 फरवरी तक                         | 01 फरवरी से 12 फरवरी तक                         |
| 5.       | अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि                                      | 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक                         | 01 मार्च से 05 मार्च तक                         | 01 मार्च से 05 मार्च तक                         |
| 6.       | ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि                                                        | 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक                         | 25 मार्च से 30 मार्च तक                         | 25 मार्च से 30 मार्च तक                         |
| 7.       | सेशनल अंको की ऑनलाइन फीडिंग प्रक्रिया                                                       | 05 नवम्बर 20 नवम्बर तक                              | 25 अप्रैल से 05 मई तक                           | 25 अप्रैल से 05 मई तक                           |
| 8.       | प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम (परीक्षा क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग)                       | 21 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक                          | 11 मई से 20 मई तक                               | 15 अप्रैल से 20 मई तक                           |
| 9.       | सैद्धांतिक परीक्षा                                                                          | 01 नवम्बर से 20 नवम्बर तक                           | 20 अप्रैल से 10 मई तक                           | 05 अप्रैल से 19 अप्रैल तक                       |
| 10.      | औद्योगिक प्रशिक्षण (Internship)                                                             | -----                                               | 20 मई से 30 जून तक                              | 20 मई से 30 जून तक                              |
| 11.      | सेमेस्टर ब्रेक                                                                              | प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 14 दिसम्बर तक | प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 जून तक | प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 जून तक |
| 12.      | मूल्यांकन कार्य                                                                             | 25 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक                          | 25 मई से 25 जून तक                              | 25 मई से 25 जून तक                              |
| 13.      | परीक्षाफल                                                                                   | अधिकतम 31 दिसम्बर तक                                | अधिकतम 30 जून तक                                | अधिकतम 30 जून तक                                |

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परिषद् विनियमावली-2016 (प्रथम संशोधन) के विनियम-3 (क) में वर्णित शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन होने का प्रावधान है।

5. कृपया शैक्षिक सत्र 2026-27 और आने वाले वर्षों के लिए हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए निर्धारित उक्त शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्ययोजना, कार्यावधि एवं समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण  
अपर मुख्य सचिव

**संख्या व दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री विनोद कुमार / श्री अजीज अहमद) प्राविधिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन।
5. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०, नई दिल्ली।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
8. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुंदेलखंड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र। (द्वारा निदेशक)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र भूषण  
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।